प्रेस विज्ञप्ति

31-12-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 30.12.2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर **यूनाइटेड किंगडम, लंदन के बकिंघम पैलेस के निकट** एक प्रमुख क्षेत्र में स्थित एक उच्च मूल्य की संपत्ति **(लगभग 150 करोड़ रुपये मूल्य की)** को कुर्क कर लिया है।

उक्त अचल संपत्ति नितिन शंभूकुमार कसलीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में है। एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नितिन शंभूकुमार कसलीवाल पर कई एफआईआर के अनुसार भारतीय बैंकों के एक संघ को लगभग 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

जांच के दौरान, ईडी ने 23.12.2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए। उक्त सामग्री के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि नितिन कसलीवाल ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई), जर्सी और स्विट्जरलैंड सहित कई ऑफशोर टैक्स हेवन में ट्रस्टों और कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया था। जांच में पता चला कि नितिन कसलीवाल ने 'मैसर्स कैथरीन ट्रस्ट' (पूर्व में 'मैसर्स सूर्या ट्रस्ट') नामक एक ट्रस्ट स्थापित किया था, जिसमें वे और उनके परिवार के सदस्य प्राथमिक लाभार्थी थे। यह ट्रस्ट जर्सी और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित 'मैसर्स कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड (सीपीएचएल)' नामक कंपनी को नियंत्रित करता था, जो बदले में लंदन में स्थित उक्त उच्च मूल्य की अचल संपत्ति का स्वामित्व नियंत्रित करता था।

जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि नितिन कसलीवाल ने मेसर्स एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के माध्यम से बैंकों के कंसोर्टियम को 1400 करोड़ रुपये का चूना लगाया और विदेशी निवेश के बहाने भारत से बाहर धन का हस्तांतरण किया। इसके बाद उन्होंने विदेशी क्षेत्राधिकारों में निजी ट्रस्टों और कंपनियों की जटिल संरचना के माध्यम से भारत से बाहर अचल संपत्तियां अर्जित कीं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।